कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा
जिला-कोरबा(छ0ग0)

मो. नं. –9826839141, ई–मेलः gevpg1981@gmail.com, www.gevpgkrb.ac.in

पत्र क्रमांक / 482 / स्था. / 2024 / कोरबा, दिनांक 5/7/ 2024

स्नातक प्रथम वर्ष एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश वेबसाईट – www.gevpgkrb.ac.in

सत्र 2024–25 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम (डिप्लोमा) में प्रवेश हेतु जो छात्र–छात्राऍ ऑनलाईन आवेदन फार्म महाविद्यालय के लिए पंजीयन कराये है। उन्हे इस महाविद्यालय में प्रवेश की प्रकिया एवं अन्य जानकारी के लिए महाविद्यालय के द्वारा गाईडलाईन जारी की जाती है। छात्र–छात्राओं एवं अभिभावको से अपेक्षा की जाती है कि वे गाईडलाईन का आवलोकन कर, दिये गये निर्देशानुसार महाविद्यालय में प्रवेश प्रकिया के लिए निश्चित दिनांक समय एवं स्थान में उपस्थित होवें–

12. स्नातक प्रथम वर्ष एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम की प्रथम चयन सूची विश्वविद्यालय की दिनांक 04.07.2024 को शाम तक जारी कर दी गई है।

- स्नातक प्रथम वर्ष एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम की प्रथम चयन सूची महाविद्यालय के वेबसाईट एवं मुख्य सूचना पटल में उपलब्ध है जिन छात्र–छात्राओ का चयन सूची में नाम है वही छात्र–छात्राऍ निम्न आवश्यक दस्तावेज सहित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित होवें। चयनित छात्र–छात्राओं को उपस्थित होना अनिवार्य है–
- आनलाईन प्रवेश फार्म की हार्डकापी।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
- 10 वी एवं 12 वी की अंकसूची मूलप्रति एवं छायाप्रति।
- माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
- जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति (एस.टी./एस.सी./ ओ.बी.सी. के लिए)
- आवश्यकतानुसार अधिभार हेतु खेलकूद / एन.सी.सी ./ एन.एस.एस ./ सांस्कृतिक कार्यकम/स्काउट गाईड प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति।
- निवास प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति।
- आधार कार्ड की मूलप्रति एवं छायाप्रति (आवश्यकतानुसार)
- 02 पासपोर्ट साईज फोटो।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजो की मूलप्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है मूलप्रति के अभाव में प्रवेश नही दिया जावेगा।

13. चयनित छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय में निर्धारित अवधि एवं निर्धारित कक्ष में उपस्थित होकर प्रवेश प्रभारी से प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करें साथ ही **प्रवेश शुल्क का भुगतान ऑनलाईन माध्यम** से किया जावेगा। अतः प्रवेश हेतु पूर्व तैयारी के साथ महाविद्यालय में उपस्थित रहें।

14. यदि किसी छात्र/छात्रा को ऑनलाईन भुगतान में असुविधा हो तो महाविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी ऑनलाईन भुगतान हेतु सहयोग व मार्गदर्शन करेंगे।

15. छात्र–छात्राओं के साथ सिर्फ एक अभिभावक को महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति रहेगी। अन्य किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नही होगी।

16. स्नातक प्रथम वर्ष एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम की प्रथम चयन सूची के कुछ छात्र–छात्राओं के प्रवेश न लेने की स्थिति में स्थान रिक्त होने पर द्वितीय चयन सूची जारी की जावेगी। जो प्रथम चयन सूची के प्रवेश हेतु दिये गये अंतिम तिथि के बाद जारी किया जावेगा। जिसे सूचना पटल के साथ–साथ वेबसाईट के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता हैं।

17. द्वितीय चयन सूची में कुछ छात्र–छात्राओं के प्रवेश न लेने की स्थिति में स्थान रिक्त होने पर तृतीय चयन सूची जारी की जावेगी। जो द्वितीय चयन सूची के प्रवेश हेतु दिये गये अंतिम तिथि के बाद जारी किया जावेगा। जिसे सूचना पटल के साथ–साथ वेबसाईट के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता हैं। यह कम लगातार शासन के द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।

18. छात्र–छात्राओं को विशेष रुप से यह अवगत कराया जाता है कि महाविद्यालय में प्रवेश की सम्पूर्ण प्रकिया शासन के नियमानुसार (प्रवेश मार्गदर्शिका) ही किया जायेगा।

19. महत्वपूर्ण जानकारी के लिए छात्र–छात्रायें एवं अभिभावक निरन्तर वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।

20. छात्र–छात्रा या अभिभावक को ऑलनाईन भुगतान हेतु स्वयं का मोबाईल लाना होगा जिससे ऑनलाईन भुगतान हो सकें।

21. छात्र–छात्राओं का प्रवेश होने के पश्चात यू.जी.सी. की वेबसाईट https://antiragging.in में ऑनलाईन ऐन्टीरेगिंग का फार्म भरना अनिवार्य है।

05.07.24

(डॉ. श्रीमती साधना खरे)
प्राचार्य
शासकीय ई.वि.स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा छ.ग